इ–मल-pmgsybarkot@gmail.com
CIN No U45203UR2008SGC032591

BRIDCUL

ब्रिडकुल–पी0एम0जी0एस0वाई0,
पी0आई0यू0, बड़कोट
ब्रिज, रोपवे, टनल एण्ड अदर इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लिमिटेड
(उत्तराखण्ड सरकार का उपक्रम)
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना

PRADHAN MANTRI GRAM SADAK YOJANA

पी0आई0यू0 कार्यालयः– पुजा आरती दूरिष्ट भवन, सरूखेत, बड़कोट, उत्तरकाशी–249141

पत्रांक219/ब्रिडकुल/पी0एम0जी0एस0वाई0(बडकोट)– 19/ 22 दिनांक 08/02/2022

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
अपर यमुना वन प्रभाग बड़कोट।

विषयः– जनपद उत्तरकाशी में प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना के अन्तर्गत सेमलसारी से गैर मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 4.165 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन।

सन्दर्भः–भारत सरकार ,पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर–केन्द्रीय क्षेत्र) 25 सुभाष रोड देहरादून के पत्रांक सं0 8बी/यू0सी0पी0/06/111/2017/एफ0सी0/1313 दिनांक 25/09/2018

महोदय,

भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून के उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र का संज्ञान लेने का कष्ट करें जिसमें भारत सरकार द्वारा विषयांकित प्रकरण में कतिपय शर्तो के तहत सैद्धन्तिक स्वीकृति दी गई है सैद्धान्तिक स्वीकृति/विधिवत् स्वीकृति की शर्तो की अनुपालन आख्या इस प्रत्र के द्वारा निम्नवत् प्रेषित की जा रही है।

क0सं0	अधिरोपित शर्त	सैद्धान्तिक स्वीकृति हेतु अनुपालन आख्या
1.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रत्यावर्तित भूमि के बदले 3.330 हे0 ग्राम दारसों सिविल सोंयम भूमि पर प्रतिपूरक वृक्षारोपण एवं उसके दस वर्षो तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहीत करते हुए यथासंशोधित) जमा की जायेगी। उक्त भूमि वन विभाग के स्वामित्व के बाहर है, अतः इसे वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण किया जायेगा। भूमि के हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने के पश्चात ही इस कार्यालय द्वारा विधिवत स्वीकृति प्रदान की जाएगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रत्यावर्तित भूमि के बदले दूगुने क्षेत्रफल 8.33 हे0 ग्राम द्वारसों सिविल सोंयम भूमि पर प्रतिपूरक वृक्षारोपण एवं उसके 10 वर्षो तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि रू0 2321279.00 ऑनलाईन चालान द्वारा जमा कर दी गयी है **(संलग्नक–1)** एवं उक्त भूमि वन विभाग के स्वामित्व हेतु जिलाधिकारी उत्तरकाशी द्वारा वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण /नामान्तरण की कार्यवाही की जा चुकी है **(संलग्नक–2)**
2.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार के पत्र संख्या 5–3/2007/एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) की निर्धारित राशि जमा की जाएगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा एन0पी0वी0 की निर्धारित धनराशि रू0 2736404.00 वन विभाग के पक्ष में RTGS के माध्यम से दिनांक 06/02/2019 के द्वारा जमा कर दी गयी थी **(उपरोक्त संलग्नक–1 के अनुसार)**
3.	शुद्ध वर्तमान मूल्य की दर में अगर बढोतरी होती है तो बढी दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी। इस आशय की प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचन बद्धता प्रस्तुत की जाए।	प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा वचन बद्धता प्रस्तुत करतें है कि यादि एन0पी0वी0 के दरों में बढोत्तरी होती है तो बढी हुयी धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा जमा कर दी जायेगी। **(संलग्नक–3)**
4.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा यह सुनिश्चित करें की जमा की गयी सभी निधियां (CA cost, NPV etc.) को वैब पोर्टल पर ऑनलाईन जनरेट किये गये चालन के माध्यम द्वारा उचित ऑनलाईन बैंक में जमा किये जाए, अन्य माध्यम से जमा कि गयी धनराशि सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालना के रूप में मान्य नहीं होगी।	प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा जमा की गयी सभी निधियां (CA Cost, NPV etc.) को वेब पोर्टल पर ऑनलाईन जनरेट किये गये चालान के द्वारा वन विभाग के पक्ष में RTGS के माध्यम दिनांक 06.02.2019 को Corporation Bank, Lodhi Complex Branch, Block 11, CGO Complex phase I, Lodhi Road New Delhi 110003 में जमा किया गया है। (उपरोक्त संलग्नक–1 के अनुसार)
5.	सडक निर्माण के पश्चात जहॉ–जहॉ सम्भव हो सडक के दोनों किनारों तथा Central Verge पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने वैब पर वन विभाग की देख रेख में Strip Plantation की जाएगी। इस आशय की वचन बद्धता प्रेषित करने होगी।	प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा यह वचन बद्धता प्रस्तुत करते है कि सडक निर्माण के पश्चात जहॉ –जहॉ सम्भव हो सडक के दोनो किनारे तथा Central-Verge पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देखरेख में Strip Plantation की जायेगी। (संलग्नक–4)

Scanned with CamScanner

	अधिरोपित शर्त	विधिवत् स्वीकृति हेतु अनुपालन आख्या
1.	वन भूमि की विधिक परिस्थिति बदली नहीं जाएगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
2.	एन0पी0वी0 की दरों में अगर बढ़ोतरी होती है तो प्रयोक्ता अभिकरण बढ़ी दरों पर एन0पी0वी0 देने के लिए बाध्य होगा।	सैद्धान्तिक स्वीकृति के कम सं0 3 के अनुसार । **(उपरोक्त संलग्नक–3 के अनुसार)**
3.	प्रतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित 8.330 है0 ग्राम द्वारसों सिविल एवं सोयम भूमि को छः माह के अन्दर भारतीय वन अधिनियम, 1927 के अन्तर्गत आरक्षित/संरक्षित वन घोषित किया जायेगा तथा नोडल अधिकारी द्वारा अधिसूचना की एक प्रति क्षेत्रीय कार्यालय को प्रेषित की जाएगी।	उत्तराखण्ड शासन वन अनुभाग–3 के पत्रांक सं0– 33/X-3. 22/14(02)/2021 Part-I दिनांक 11/01/2022 की अधिसूचना के अनुसार आरक्षित/संरक्षित वन घोषित किया जा चुका है। **(छायाप्रति संलग्न–05)**
4.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वन क्षेत्र के आस–पास मजदूरों/स्टॉफ के लिये किसी भी प्रकार का लेबर कैम्प नहीं लगाया जायेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
5.	प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि का चार फीट ऊॅचे आर0सी0सी0 पिलर लगाकर सीमांकन करेगा जिन Forward एवं Back bearing अंकित किया जाएगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
6.	प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों एवं स्टॉफ के लिये रसोई गैंस /कैरोसिन तेल की आपूर्ति की जायेगी, जिससे निकटवर्ती वनो को क्षति न पहूँचे।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
7.	परियोजना के निर्माण व रख–रखाव के दौरान आस–पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव–जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुचायी जाएगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
8.	वन भूमि का प्रयोग प्रस्ताव में दर्शाये गये उद्देश्य के अलावा अन्य किसी उद्देश्य के लिए नहीं किया जाएगा तथा किसी भी परिस्थिति में इस वन भूमि को किसी अन्य संस्था, विभाग या व्यक्ति के पक्ष में भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना Transfer नहीं किया जाएगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
9.	कम से कम वृक्षों का कटान/पातन किया जाएगा, जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 75 से अधिक न हो ।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
10.	सडक निर्माण के पश्चात् जहॉ–जहॉ सभंव हो सड़क के दौरान किनारों तथा Central Verge पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख–रेख में Strip Plantation की जाएगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा। **(उपरोक्त संलग्नक–4 के अनुसार)**
11.	परियोजना निर्माण से उत्सर्जित मलवे का निस्तारण प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत मलवा निस्तारण योजना के अनुसार प्रभागीय वनाधिकारी की देख–रेख में किया जाएगा एवं निर्दिष्ट स्थानों के अलावा अन्यत्र मलवा नहीं फेंका जाएगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
12.	यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते है तो उनके अधीन जरूरी अनूमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्ता एजेंसी की जिम्मेवारी होगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
13.	ऐसी अन्य कोई भी शर्त जो कि भारत सरकार भविष्य में पर्यावरण ,वन एवं वन्य जीवों के संरक्षण हेतु आवश्यक समझे।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा।

महोदय यह भी अवगत कराना है कि अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को यू0आर0आर0डी0ए0 के माध्यम से ज्ञात हुआ की उक्त परियोजना का क्षतिपूरक वृक्षारोपण का संसोधित प्राक्कलन (छायाप्रति संलग्नक –06) डी0एफ0ओ0 कार्यालय से ऑनलाईन अपडेट नहीं हुआ है जो कि इस प्रत्र के साथ संलग्न किया जा रहा है।

Scanned with CamScanner

अतः अनुरोध है कि सम्बन्धित उक्त प्रकरण की सामरिक महत्ता को दृष्टिगत रखते हुए विषयांकित प्रकरण पर विधिवत् स्वीकृति निर्गत करने की कृपा करें एवं अनुपालन आंख्या आपको अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु प्रेषित।

संलग्नकः–उपरोक्तानुसार।

इकाई प्रभारी
पी0एम0जी0एस0वाई0
ब्रिडकुल बड़कोट।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मुख्य अभियंता, यू0आर0आर0डी0ए0 देहरादून।
2. अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरा नगर, फॉरेस्ट कॉलोनी देहरादून, उत्तराखण्ड।
3. उपमहाप्रबन्धक (सडक एवं सेतु), ब्रिडकुल, देहरादून।
4. मास्टर फाईल।

पी0एम0जी0एस0वाई0
ब्रिडकुल बड़कोट।

Scanned with CamScanner

संलग्नक-1

प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना के अन्तर्गत सेमलसारी से गैर मोटर मार्ग निर्माण हेतु 4.165 है0 वन भूमि का वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत गैर वानिकी कार्य हेतु पी0एम0जी0एस0वाई, पुरोला को प्रत्यावर्तन प्रस्ताव हेतु सैद्धान्तिक स्वीकृति में उल्लेखित शर्तों के अन्तर्गत प्रयोक्ता ऐजेन्सी द्वारा जमा की जाने वाली धनराशि का मांग पत्र।

अपर यमुना वन प्रभाग, बडकोट

क्र0 सं0	मोटर मार्ग का नाम	हस्तान्तरित की जाने वाली वन भूमि का क्षेत्रफल (है0 में)	ईको क्लास श्रेणी	हरियाली का घनत्व	मद का विवरण	क्षतिपूरक वृक्षारोण का क्षेत्रफल (है0 में)	दर प्रति है0 (प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड, देहरादून का पत्रांक क 972/3-5-2(II) दिनांक 21.11.2017 के अनुसार वसूली वर्ष 2018-19 हेतु निर्धारित दर के अनुसार)	जमा की जाने वाली आकलित धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना के अन्तर्गत सेमलसारी से गैर मोटर मार्ग निर्माण हेतु 4.165 है0 वन भूमि का वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत गैर वानिकी कार्य हेतु पी0एम0जी0एस0वाई, पुरोला को प्रत्यावर्तन प्रस्ताव।	4.165	5	0.2	1- प्रत्यावर्तित भूमि के बदले दो गुने सिविल सोयम भूमि में क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं उसके 10 वर्षों तक रख रखाव हेतु आवश्यक धनराशि	8.33	278665.00 रू0 प्रति है0 की दर से	23,21,279.00
					2- एन0पी0वी0 की धनराशि	4.165	657000.00 प्रति है0	27,36,405.00
कुल योग		रू0 पचास लाख सतावन हजार छः सौ चौरासी रू0						5057684.00

O/C

(जे0पी0 सिंह)
प्रभागीय वनाधिकारी,
अपर यमुना वन प्रभाग, बड़कोट।

land transfer..

Junior Engineer, BRIDCIL-PMGSY PIU. Barkot

Resident Engineer, BRIDCIL-PMGSY PIU. Barkot

इकाई प्रभारी
ब्रिडकुल-पी0एम0जी0एस0वाई,
पी0आई0यू0 बड़कोट

Scanned by CamScanner

Scanned with CamScanner

संलग्नक – 1

NEFT RTGS CHALLAN

AGENCY COPY

NEFT / RTGS CHALLAN for Ad-HOC CAMPA

Date : 06-02-2019

Agency Name.	PMGSYID PUROLA
Application No.	6111303835
MoEF/SG File No.	8B/UCP/06/111/2017/FC
Location.	UTTARANCHAL
Address.	Executive Engineer P.M.G.S.Y.I.D. Purola (UttarkUttarkashi
Amount(in Rs)	5057684/-

Amount in Words :Fifty Lakh Fifty-Seven Thousand Six Hundred and Eighty-Four Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	UTTARANCHAL CAMPA
IFSC Code:	CORP0000371
Pay to Account No.	150896111303835 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Corporation Bank Lodhi Complex Branch, Block 11,CGO Complex, Phase I, Lodhi Road, New Delhi -110003

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only
- This challan is valid only for seven days.

BANK COPY

NEFT / RTGS CHALLAN for Ad-HOC CAMPA

Date : 06-02-2019

Agency Name.	PMGSYID PUROLA
Application No.	6111303835
MoEF/SG File No.	8B/UCP/06/111/2017/
Location.	UTTARANCHAL
Address:	Executive Engineer P.M.G.S.Y.I.D. Purola Uttark Uttarkashi
Amount(in Rs)	5057684/-

Amount in Words :Fifty Lakh Fifty-Seven Thousand Six Hundred and Eighty-Four Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	UTTARANCHAL CAMPA
IFSC Code:	CORP0000371
Pay to Account No.	150896111303835 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Corporation Bank Lodhi Complex Branch, Block 11,CGO Complex, Phase I, Lodhi Road, New Delhi -110003

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only
- This challan is valid only for seven days.

After making successful payment, User Agencies may send a line of confirmation through mail: helpdeskcampa@corpbank.co.in

Neft_ChallanCorp.aspx?pid=ROAD113032015835

JE(C) Junior Engineer BRIDCIL PMGSY Barkot

Resident Engineer, BRIDCIL-PMGSY PIU, Barkot

इकाई प्रभारी बिडकुल–पी०एम०जी०एस०वाई० पी०आई०यू०, बड़कोट

Scanned with CamScanner

सलग्नक - 2

:: आदेश ::

अधिशासी अभियन्ता, पी०एम०जी०एस०वाई० सि०ख० पुरोला के पत्र संख्या 14/पी०एम० जी०एस०वाई०/सि०ख० दिनांक 26.05.2018 के द्वारा अवगत कराया गया है कि [illegible] विकास खण्ड नौगांव के अन्तर्गत स्वीकृत [illegible] हस्तान्तरण प्रस्ताव संख्या FP/UK/ROAD/11303/2015 [illegible] क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु 8.330 है० दुगुनी भूमि उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध किया गया है।

उपरोक्त के सम्बन्ध मे तहसीलदार, बड़कोट द्वारा [illegible] उप जिलाधिकारी, बड़कोट के माध्यम से क्षतिपूरक वृक्षारोपण प्रप्रा०/2017-18 दिनांक 28.05.2018 [illegible] प्राप्त हुआ है। उक्त पत्र के द्वारा अवगत कराया गया है, कि [illegible] निर्माण हेतु 8.330 है० सिविल सोयम भूमि के सम्बन्ध मे राजस्व उपनिरीक्षक दारसौ [illegible] करवायी गयी। राजस्व उपनिरीक्षक दारसौ की जांच आख्यानुसार [illegible] निर्माण हेतु ग्राम दारसौ की नॉन ज्येड.ए. खाता संख्या-24 जो उत्तराखण्ड सरकार के स्वामित्व की वर्ग 9(3)ड. मे दर्ज के खसरा सं० 2924 रकबा 2.502, खसरा सं० 2693 रकबा 2.136, खसरा सं० 2681 म. रकबा 2.000, 2680 म० 1.692 है० कुल 8.330 है० भूमि प्रस्तावित कर खसरा, खतौनी मय नक्शा की प्रति इस कार्यालय को प्रेषित की गयी है।

शासनादेश सं० शासनादेश संख्या 2173/XVIII(II)/2012-18(120)/2010 दिनांक 17 दिसम्बर, 2012 के द्वारा विभिन्न सरकारी योजनाओ के लिए क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चिन्हित सिविल सोयम भूमि को वन विभाग के पक्ष मे नियमानुसार हस्तान्तरित किये जाने का प्राधिकार जिले के भीतर जिलाधिकारियों को एवं अन्तर्जनपदीय मामलो मे सम्बन्धित मण्डलायुक्तो को प्रतिनिधानित किए जाने की व्यवस्था दी गयी है।

अतः तहसीलदार/उप जिलाधिकारी, बड़कोट से प्राप्त आख्यानुसार ग्राम दारसौ की नॉन ज्येड.ए. खाता संख्या-24 जो उत्तराखण्ड सरकार के स्वामित्व की वर्ग 9(3)ड. मे दर्ज के खसरा सं० 2924 रकबा 2.502, खसरा सं० 2693 रकबा 2.136, खसरा सं० 2681 म. रकबा 2.000, 2680 म० 1.692 है० कुल 8.330 है० भूमि को राजस्व अभिलेखो मे प्रभागीय वनाधिकारी, अपर यमुना वन प्रभाग, बड़कोट को हस्तान्तरित/नामान्तरित करने की स्वीकृति एतद्द्वारा प्रदान की जाती है।

ह0/-

(डॉ० आशीष चौहान)

जिलाधिकारी,

उत्तरकाशी।

कार्यालय जिलाधिकारी, उत्तरकाशी।

संख्या 7067/ आठ-27 (2016-17) दिनांक 22 जून, 2018

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1- उप जिलाधिकारी, बड़कोट/तहसीलदार बड़कोट।

2- प्रभागीय वनाधिकारी, अपर यमुना वन प्रभाग बड़कोट।

3- अधिशासी अभियन्ता, विश्व बैंक खण्ड, लो०नि०वि० उत्तरकाशी।

प्रभारी अधिकारी,

कृते-जिलाधिकारी

Junior Engineer, BRIDCUL-PMGSY

Resident Engineer, BRIDCUL-PMGSY PIU, Barkot

पी०एम०जी०एस०वाई० बड़कोट

Scanned with CamScanner

संलग्नक-3

कार्य का नामः— प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत सेमलसारी से गैर मोटर मार्ग निर्माण हेतु 4.165 है० वन भूमि का ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में।

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि एन०पी०वी० की दरों में भविष्य में यदि कोई बढ़ोत्तरी होती है तो प्रयोक्ता विभाग द्वारा बढ़ी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि एन०पी०वी० के रूप में वन विभाग के पक्ष में जमा कि जायेगी।

कनिष्ठ अभियंता पी०एम०जी०एस०वाई० बड़कोट Junior Engineer, BRIDCUL-PMGSY PIU. Barkot	आवासीय अभियंता पी०एम०जी०एस०वाई० बड़कोट Resident Engr. BRIDCUL-PMGSY Barkot	इकाई प्रभारी पी०एम०जी०एस०वाई० बड़कोट इकाई प्रभारी ब्रिडकुल-पी०एम०जी०एस०वाई० पी०आई०यू० बड़कोट

Scanned with CamScanner

संलग्नक-4

कार्य का नामः– प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत सेमलसारी से गैर मोटर मार्ग निर्माण हेतु 4.165 है0 वन भूमि का ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में।

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि मोटर मार्ग के निर्माण के पश्चात् सम्भव स्थानों पर मोटर मार्ग के दोनो किनारों तथा Central Verge पर प्रयोक्ता विभाग के व्यय पर वन विभाग की देखरेख में Strip Plantation की जायेगा।

कनिष्ठ अभियंता पी0एम0जी0एस0वाई0 बड़कोट	आवासीय अभियंता पी0एम0जी0एस0वाई0 बड़कोट	इकाई प्रभारी पी0एम0जी0एस0वाई0 बड़कोट
Junior Engineer, PMGSY BRIDCIL, PIU. Barkot	Resident Engineer, PMGSY BRIDCIL, PIU, Barkot	इकाई प्रभारी पी0एम0जी0एस0वाई0 ब्रिडकुल पी0आई0यू0 बड़कोट

Scanned with CamScanner

संलग्नक-05

भार्थ
11/01/22

I/16365/2022

उत्तराखण्ड शासन
वन अनुभाग-3
संख्या- 33 /X-3-22/14(02)/2021, Part-I
देहरादून: दिनांक 11 जनवरी, 2022

अधिसूचना

राज्यपाल, भारतीय वन अधिनियम, 1927 (अधिनियम संख्या-16 वर्ष 1927) की धारा 29 की उपधारा (1) एवं (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रयोजनार्थ जिला उत्तरकाशी में सेमलसारी से गैर मोटर मार्ग निर्माण के लिए हस्तान्तरित 4.165 है0 आरक्षित वन भूमि के सापेक्ष क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु जिलाधिकारी, उत्तरकाशी द्वारा वन विभाग को हस्तान्तरित की गयी राज्य सरकार के स्वामित्व की श्रेणी-9(3)ड0 (अन्य कृषि योग्य बंजर भूमि) के 8.33 है0 क्षेत्रफल जिसका विवरण नीचे तालिका में दिया गया है, को वन भूमि के साथ-साथ संरक्षित वन घोषित करते हैं:-

तालिका

क्र0 सं0	जिला	ग्राम	खाता संख्या	खसरा संख्या		अर्जित रकबा (है0)	चयनित क्षेत्रफल (है0)	भूमि की किस्म
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)
1.	उत्तरकाशी	दारसौ	24	संख्या	क्षेत्रफल	8.33	8.33	उत्तराखण्ड सरकार वर्ग 9(3)ड0
				2924	2.502			
				2693	2.136			
				2691 म0	2.00			
				2680 म0	1.692			
				कुल योग:-	8.33			

उपरोक्त क्षेत्र भू-अभिलेखों में वन विभाग के नाम नामान्तरित होने से किसी भी प्रकार की अधिकार एवं रियायतों के दावों से मुक्त है।

भाग-2 (सीमा विवरण)

वृक्षारोपण क्षेत्र के सीमांकन हेतु प्रस्तावित सीमा स्तम्भों का विवरण (जी0पी0एस0 लोकेशन सहित) निम्न प्रकार है।

Co-ordinates of Plantation Site		
ID	Longitude	Latitude
1	78° 9' 27.404" E	30°43' 53.984" N
2	78° 10' 0.560" E	30°43' 51.595" N
3	78° 10' 4.029" E	30°43' 49.418" N
4	78° 10' 7.344" E	30°43' 48.081" N
5	78° 10' 15.208" E	30°43' 46.092" N
6	78° 10' 17.10 " E	30°43' 46.634" N
7	78° 10' 17.148" E	30°43' 50.929" N
8	78° 10' 11.462" E	30°43' 51.083" N
9	78° 10' 8.224" E	30°43' 52.499" N
10	78° 10' 4.032" E	30°43' 53. 00" N
11	78° 10' 2.898" E	30°43' 54.801" N
12	78° 10' 0.514" E	30°43' 55.174" N
13	78° 10' 3.477" E	30°43' 54.769" N
14	78° 10' 8.951" E	30°43' 53.014" N
15	78° 10' 12.334" E	30°43' 51.543" N
16	78° 10' 16.572" E	30°43' 51.536" N
17	78° 10' 16.435" E	30°43' 53.119" N
18	78° 10' 15.701" E	30°43' 54.008" N

Scanned with CamScanner

19	78° 10' 12.640" E	30°43' 54.141" N
20	78° 10' 9.618" E	30°43' 54.829" N
21	78° 10' 7.923" E	30°43' 54.263" N

विजय कुमार यादव)
सचिव।

संख्या:- 33 /X-3-22/14(02)/2021, Part-I/ तद्दिनांकित।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. वन महानिरीक्षक, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, जोरबाग रोड, नई दिल्ली।
2. प्रमुख वन संरक्षक (HOFF), उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. प्रमुख वन संरक्षक, वन्यजीव, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, उत्तराखण्ड।
6. वन संरक्षक, यमुना वृत्त, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. जिलाधिकारी, जनपद–उत्तरकाशी।
8. प्रभागीय वनाधिकारी, अपर यमुना वन प्रभाग, बडकोट।
9. निदेशक,राजकीय मुद्रणालय रूड़की को साधारण गजट के विधायी परिशिष्ट खण्ड (ब),भाग–4 में प्रकाशनार्थ।
10. एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर।
11. गार्ड फाईल।

(विजय कुमार यादव)
सचिव।

Signed by Vijay Kumar
Yadav
Date: 11-01-2022 10:03:38

Scanned with CamScanner

R.No 195
Dt-3/8/022

पत्रांक 2213 दि 22/7/2022

संलग्नक-08

परियोजना का नाम जनपद उत्तरकाशी में प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना फेज 8 के अन्तर्गत सेमलसारी से गैर मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव

लम्बाई कि0मी0 8.400

क्षतिपूरक वृक्षारोपण योजना

वृक्षारोपण क्षेत्र का नाम– दारसौ सिविल सोयम वृक्षारोपण हेतु क्षेत्रफल– 8.330 है0

रोपित किये जाने वाले पौधों की सं0– 2000 पौध प्रति है0 राजि का नाम– मुगरसन्ती राजि

क0सं0	कार्य विवरण	इकाई	मात्रा	दर	धनराशि
	अग्रिम मृदा कार्य				
1	सर्वे एवं सीमांकन	प्र0है0	8.33	181.00प्र0है0	1507.73
2	क्षेत्र की सफाई (झाड़ी कटान आदि)	प्र0है0	8.33	5436.00	45281.88
3	अग्रिम दीवाल बन्दी (फैन्सिग)प्र0 है0 84 घ0मी (पत्थर ढुलान 750 मी0 तक)	प्र0 घ0मी0	699.72	406.00प्र0 घ0मी0	284086.32
4	अग्रिम मृदा कार्य(0.30X0.30X0.45)	सं0	16660	11.42 प्र0	190257.20
	निरीक्षण बटिया बनाना	है0	8.33	1095.00	9121.35
6	पौधो की कीमत प्रथम वर्ष	सं0	16660	9.75	162435.00
7	अन्य व्यय जैसे यन्त्र सयन्त्र तथा औजार तैज करना	है0	8.33	1000.00	8330.00
8	मृदा एवं जल सरक्षंण एवं संग्रहण (10 है0 को आधार मनाते हुये) प्रकुलेशन टैंक (वर्षा जल संरक्षण)	प्र0है0	8.33	10000.00	83300.00
	प्रथम चरण योगः–			योगः–	784319.48
1	गढढा भरान कार्य	सं0	16660	2.04	33986.40
2	पौधो की कीमत द्वितीय वर्ष	सं0	16660	1.89	31487.40
3	पौधों ढुलान कार्य	सं0	16660	7.79	129781.40
4	पौध रोपण व थालबन्दी	सं0	16660	3.84	63974.40
5	निराई गुडाई व मल्चिंग (2 बार)	सं0	16660	5.05	84133.00
6	खाद व दवा पर व्यय	प्र0सै0	16660	1.35	22491.00
	देख रेख व रखरखाव रोपण वर्ष में 9 माह कम से कम 10है0 पर	है0	8.33	7150.00	64350.00
8	8.1 वृक्षारोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत सूखे घास, फूस एवं ज्वलनशील पदार्थो को हटाना	है0	8.33	684.00	5697.72
9	8.2 सुरक्षा दीवाल/घेरबाड़ के बाहर 4.50 मीटर चौड़ी पटटी साफ करना	है0	8.33	973.00	8105.09
10	अन्य व्यय साइन बोर्ड ढुलान हेतु टोकरी, सुतली, बोरी, आदि कय वृक्षारोपण के समय वर्षा से बचने हेतु पोलीथीन सीट वर्ष में दो तीन बार फोटोग्राफी फील्ड स्तरीय कार्य को प्रचार प्रसार एवं डेक्यूमेटेन आदि कार्य	है0	8.33	1700.00	14161.00
	द्वितीय चरण का योगः–			योगः–	458167.41
	तृतीय वर्ष अनुरक्षण				
1	रोपण वर्ष के उपरान्त प्रथम वर्ष रख–रखाव व	है0	8.33	7150.00	85800.00

Bdthwal 3

Scanned with CamScanner

	अनुरक्षण कार्य 12 माह (कम से कम 10 है0 आधार मानकर)				
	2.1 वृक्षारोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत सूखे घास, फूस एवं ज्वलनशील पदार्थो को हटाना प्रति है0	है0	8.33	684.00	5697.72
3	2.2 सुरक्षा दीवाल/घेरबाड़ के बाहर 4.50 मीटर चौड़ी पटटी साफ करना	है0	8.33	973.00	8105.09
	तृतीय चरण का योगः–				99602.81
	चतुर्थ वर्ष अनुरक्षण				
1	रोपण वर्ष के उपरान्त प्रथम वर्ष रख–रखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह (कम से कम 10 है0 आधार मानकर)	है0	8.33	7150.00	85800.00
2	2.1 वृक्षारोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत सूखे घास, फूस एवं ज्वलनशील पदार्थो को हटाना प्रति है0	है0	8.33	684.00	5697.72
4	2.2 सुरक्षा दीवाल/घेरबाड़ के बाहर 4.50 मीटर चौड़ी पटटी साफ करना	है0	8.33	973.00	8105.09
	चतुर्थ चरण का योगः–				99602.81
	पंचम वर्ष अनुरक्षण				
1	रोपण वर्ष के उपरान्त प्रथम वर्ष रख–रखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह (कम से कम 10 है0 आधार मानकर)	है0	8.33	7150.00	85800.00
2	2.1 वृक्षारोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत सूखे घास, फूस एवं ज्वलनशील पदार्थो को हटाना प्रति है0	है0	8.33	684.00	5697.72
3	2.2 सुरक्षा दीवाल/घेरबाड़ के बाहर 4.50 मीटर चौड़ी पटटी साफ करना	है0	8.33	973.00	8105.09
	पंचम चरण का योगः–				99602.81
	षष्टम वर्ष अनुरक्षण				
1	रोपण वर्ष के उपरान्त प्रथम वर्ष रख–रखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह (कम से कम 10 है0 आधार मानकर)	है0	8.33	7150.00	85800.00
2	2.1 वृक्षारोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत सूखे घास, फूस एवं ज्वलनशील पदार्थो को हटाना प्रति है0	है0	8.33	684.00	5697.72
3	2.2 सुरक्षा दीवाल/घेरबाड़ के बाहर 4.50 मीटर चौड़ी पटटी साफ करना	है0	8.33	973.00	8105.09
	षष्टम चरण का योगः–				99602.81
	सप्तम वर्ष अनुरण				
1	रोपण वर्ष के उपरान्त प्रथम वर्ष रख–रखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह (कम से कम 10 है0 आधार मानकर)	है0	8.33	7150.00	85800.00
2	2.1 वृक्षारोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत सूखे घास, फूस एवं ज्वलनशील पदार्थो को हटाना प्रति है0	है0	8.33	684.00	5697.72
3	2.2 सुरक्षा दीवाल/घेरबाड़ के बाहर 4.50 मीटर चौड़ी पटटी साफ करना	है0	8.33	973.00	8105.09
	सप्तम चरण का योगः–				99602.81
	अष्टम वर्ष अनुरक्षण				
1	रोपण वर्ष के उपरान्त प्रथम वर्ष रख–रखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह (कम से कम 10 है0 आधार मानकर)	है0	8.33	7150.00	85800.00

Scanned with CamScanner

	2.1 वृक्षारोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत सूखे घास, फूस एवं ज्वलनशीन पदार्थो को हटाना प्रति है0	है0	8.33	684.00	5697.72
	2.2 सुरक्षा दीवाल/घेरबाड़ के बाहर 4.50 मीटर चौड़ी पटटी साफ करना	है0	8.33	973.00	8105.09
	अष्टम चरण का योगः–				99602.81
	नवम वर्ष अनुरक्षण				
1	रोपण वर्ष के उपरान्त प्रथम वर्ष रख–रखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह (कम से कम 10 है0 आधार मानकर)	है0	8.33	7150.00	85800.00
2	2.1 वृक्षारोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत सूखे घास, फूस एवं ज्वलनशीन पदार्थो को हटाना प्रति है0	है0	8.33	684.00	5697.72
3	2.2 सुरक्षा दीवाल/घेरबाड़ के बाहर 4.50 मीटर चौड़ी पटटी साफ करना	है0	8.33	973.00	8105.09
	नवम चरण का योगः–				99602.81
	दसवां वर्ष अनुक्षण				
1	रोपण वर्ष के उपरान्त प्रथम वर्ष रख–रखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह (कम से कम 10 है0 आधार मानकर)	है0	8.33	7150.00	85800.00
	2.1 वृक्षारोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत सूखे घास, फूस एवं ज्वलनशीन पदार्थो को हटाना प्रति है0	है0	8.33	684.00	5697.72
3	2.2 सुरक्षा दीवाल/घेरबाड़ के बाहर 4.50 मीटर चौड़ी पटटी साफ करना	है0	8.33	973.00	8105.09
	दसवां चरण का योगः–				99602.81
	प्रथम चरण से दसवां चरण का योगः–				2039309.37

क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु दस वर्षीय आगणित कुल धनराशि– 2039309.37
परियोजना निर्माण हेतु प्रस्तावित भूमि का क्षेत्रफल – 4.165 है0
दुगने क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु अपेक्षित धनराशि – 2039309.37

(बलदेव सिंह चौहान)
वन दरोगा
तियां सैक्शन

वन क्षेत्राधिकारी
मुगरसन्ती रेंज
नौगाँव

नोट: प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड, देहरादून का पत्रांक क 972/3-5-2(II) दिनांक 21-11-2017 के अनुसार वसूली वर्ष 2018-19 हेतु निर्धारित दर के अनुसार प्रति है० 278665.00 रु

= 278665.00 × 8.33
= 2321279.00 रु (तेईस लाख इक्कीस हजार दो सौ उनासी रु)

प्रभागीय वनाधिकारी
अपर यमुना वन प्रभाग
बड़कोट

Bdthwal 3

Scanned with CamScanner